

# ALL INDIA SOCIOLOGICAL SOCIETY

## 43<sup>rd</sup> All India Sociology Conference on

Neu Liberalism, Consumption & Culture 9-11 november 2017

Organised-Department of Sociology, University of Lucknow U.P., India

Paper Presentation Rc-16 :- Dr. Neetu Singh Tomar, LMI-4442, RC-3/16

### विस्तृत-पेपर

#### भारतीय जनपद फर्रुखाबाद के नगरों का वर्तमान स्वरूप



डॉ. नीतू सिंह तोमर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र),

पोस्ट डॉक्टरल फेलो,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली-110002

**सारांश:**—यद्यपि नगरों का अधिपत्य प्राचीन काल से मिलता है, किन्तु अभी हाल तक वे जनसंख्या के अपेक्षाकृत एक छोटे से भाग का ही प्रतिनिधित्व करते थे। अधिकांश व्यक्तियों का जीवन प्रमुख रूप से ग्रामीण समाज या गाँव ही बनाते थे। नगरों और महानगरों की महाकाय वृद्धि विकास और जनसंख्या के बड़े भाग नगरीय क्षेत्रों में जाना पिछले 5 दशकों का ही विशेष लक्षण रहा है। नगरीकरण औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम था। इसने केन्द्रित स्थानों पर श्रमिकों की बड़ी संख्या की माँग को उत्पन्न किया।

भारत में पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ, जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में स्थानान्तरण भी हुआ है। बढ़ते हुए नगरीकरण से अपराध और बाल-अपराध, मदिरापान और मादक वस्तुओं का सेवन, आवास की कमी, भीड़-भाड़ और गन्दी बस्तियाँ, बेरोजगारी, निर्धनता, प्रदूषण और शोर, संचार और यातायात नियन्त्रण, वैश्यावृत्ति, कालगर्ल, तस्करी, मिलावट जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। परन्तु यदि नगर तनाव और दबाव के स्थान हैं, तो वे सभ्यता और संस्कृति विकास एवं प्रगति के केन्द्र भी हैं। वे सक्रिय, प्रवर्तितीय और सजीव हैं। वे व्यक्ति को अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि भारत का भविष्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है तो इतना ही वह नगरों और महानगरों के क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है।

जनगणना-2011 के अनुसार, भारतीय जनपद फर्रुखाबाद की कुल जनसंख्या 1887577 में से 416185 शहरी जनसंख्या है। जनपद में 6 नगर-फतेहगढ़-फर्रुखाबाद, कमालगंज, कायमगंज, शमशाबाद, मोहम्दाबाद, कम्पिल हैं। दूर-दराज के गांवों के संग्रह से बना नगर मोहम्मदाबाद आदि व्यक्ति विशेष के राजनीतिक लाभ तक सीमित बने हैं। मानक विहीन नगर व्यवस्था एवं निकाय चुनावों में चक्रीय क्रम की उपेक्षा नगर विकास को प्रभावित कर रही है।

**कीवर्ड:** सिटी-नगर, नगरीकरण-ग्रामीण क्षेत्रों से नगर क्षेत्र में जाना, म्युनिस्पल-नगरपालिका, वार्ड-क्षेत्र, संग्रहित-एकत्रित

यद्यपि नगरों का अस्तित्व प्राचीन काल से मिलता है, किन्तु अभी हाल तक वे जनसंख्या के अपेक्षाकृत एक छोटे से भाग का ही प्रतिनिधित्व करते थे। अधिकांश व्यक्तियों का जीवन प्रमुख रूप से ग्रामीण समाज या गाँव ही बनाते थे। नगरों और महानगरों की महाकाय वृद्धि विकास और जनसंख्या के बड़े भाग नगरीय क्षेत्रों में जाना पिछले पाँच दशकों का ही विशेष लक्षण रहा है। नगरीकरण औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम था। इसने केन्द्रित स्थानों पर श्रमिकों की बड़ी संख्या की माँग को उत्पन्न किया।

भारत में पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ, जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में स्थानान्तरण भी हुआ है। बढ़ते हुए नगरीकरण से अपराध और बाल-अपराध, मदिरापान और मादक वस्तुओं का सेवन, आवास की कमी, भीड़-भाड़ और गन्दी बस्तियाँ, बेरोजगारी और निर्धनता, प्रदूषण और शोर, संचार और यातायात नियन्त्रण, वैश्यावृत्ति, कालगर्ल, तस्करी, मिलावट जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। परन्तु अगर नगर तनाव और दबाव के स्थान हैं, तो वे सभ्यता और संस्कृति विकास एवं प्रगति के केन्द्र भी हैं। वे सक्रिय, प्रवर्तितीय और सजीव हैं। वे व्यक्ति को अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि भारत का भविष्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है तो इतना ही वह नगरों और महानगरों के क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है।

**‘नगरीय क्षेत्र’ या ‘नगर’ क्या है?** इस शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होता है—जनसांख्यिकीय रूप और समाजशास्त्रीय में। पहले अर्थ में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की सघनता और वयस्क पुरुषों में से अधिकांश के रोजगार के स्वरूप पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरे अर्थ में विषमता, अवैयक्तता, अन्योन्याश्रय और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित रहता है। जर्मन समाजसेवी टोनीज (1957) ने ग्रामीण और नगरीय समुदायों में भिन्नता सामाजिक सम्बन्धों और मूल्यों के द्वारा बताई है। ग्रामीण गेमिनशेपट समुदाय वह है, जिसमें सामाजिक बन्धन कुटुम्ब और मित्रता के निकट के व्यक्तिगत बन्धनों पर आधारित

होते हैं तथा परम्परा, सामंजस्य और अनौपचारिकता पर बल दिया जाता है, जबकि नगरीय मैसिलशेपट समाज में अवैयक्तिक और द्वितीयक सम्बन्ध—प्रधान होते हैं और व्यक्तियों में विचारों का आदान—प्रदान औपचारिक, अनुबन्धित और विशेष कार्य या नौकरी जो वे करते हैं उस पर आधारित होते हैं। गैसिलशेपट समाज में उपयोगितावादी लक्ष्यों और सामाजिक सम्बन्धों के प्रतिस्पर्द्धा के स्वरूप पर बल दिया जाता है।

मैक्सबेबर(1961:381) और जार्ज सिमिल(1950) जैसे अन्य समाजशास्त्रियों ने नगरीय वातावरण संघन आवासीय परिस्थितियों, परिवर्तन में तेजी और अवैयक्तिक अन्तक्रिया पर बल दिया है। लुईस वर्थ (1938:8) ने कहा है कि, समाजशास्त्रीय उद्देश्यों के लिए एक नगर की यह कह कर परिभाषा की जा सकती है कि वह सामाजिक रूप से पंचमेल/विषमरूप व्यक्तियों की अपेक्षाकृत बड़ी सघन और अस्थायी बस्ती है। रूथ ग्लास(1950) जैसे विद्वानों ने नगर को जिन कारकों द्वारा परिभाषित किया है वे हैं जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की सघनता, प्रमुख आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन की सामान्य रचना और कुछ सामाजिक विशेषताएँ।

भारत में 'कस्बे' की जनगणना की परिभाषा 1950—51 तक लगभग एक ही रही, परन्तु 1961 में एक नई परिभाषा अपनाई गई। 1951 तक, 'कस्बे' में सम्मिलित थे: (1) मकानों का संग्रह जिनमें कम से कम 5000 व्यक्ति स्थाई रूप में निवास करते हैं, (2) प्रत्येक म्यूनिसिपल/कार्पोरेशन/किसी भी आकार का अधि सूचित क्षेत्र और (3) सब सिविल लाइनें जो म्यूनिसिपल इकाइयों में सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकार कस्बे की परिभाषा में प्रमुख फोकस जनसंख्या के आकार पर न होकर प्रशासनिक व्यवस्था पर अधिक था। 1961 में किसी स्थान को कस्बा कहने के लिए कुछ मानदण्ड लगाये गए। ये थे: (अ) कम से कम 5000 की जनसंख्या, (ब) 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से कम की सघनता नहीं, (स) इसकी कार्यरत जनसंख्या का तीन—चौथाई गैर—कृषिक गतिविधियों में होना चाहिए और (द) उस स्थान की कुछ अपनी विशेषताएँ होनी चाहिए तथा यातायात और संचार, बैंकें, स्कूलों, बाजारों, मनोरंजन केन्द्रों, अस्पतालों, बिजली और अखबारों आदि की नागरिक सुख सुविधाएँ होनी चाहिए। परिभाषा में इस परिवर्तन के फलस्वरूप 812 क्षेत्र(44 लाख व्यक्ति) जो 1951 की जनगणना में कस्बे घोषित किए गए थे, उन्हें 1961 की जनगणना में कस्बा नहीं माना गया।

1961 का आधार 1971, 1981, 1991 की जनगणनाओं में भी कस्बे की परिभाषा करते समय अपनाया गया। वर्ष 2001 की जनगणना के समय से 100000 तथा उसके अधिक की जनसंख्या वाले नगरों एवं शहरों को 'प्रथम श्रेणी', 50000 से 99999 तक की जनसंख्या वाले नगरों एवं शहरों को 'द्वितीय श्रेणी' 20000 से 49999 तक की जनसंख्या वाले नगरों एवं शहरों को 'तृतीय श्रेणी', 10000 से 19999 तक की जनसंख्या वाले नगरों एवं शहरों को 'चतुर्थ श्रेणी', 5000 से 9999 तक की जनसंख्या वाले नगरों एवं शहरों को 'पंचम श्रेणी' तथा 5000 से कम जनसंख्या वालों को 'षष्ठम श्रेणी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समाजशास्त्री 'नगर' की परिभाषा में जनसंख्या के आकार को अधिक महत्व नहीं देते, क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या के मानदण्ड काफी बदलते रहते हैं। इस प्रकार से वे जनसंख्या के आकार के स्थान पर विशेषताओं को अधिक महत्व देते हैं। थियोडॉर्सन (1969:451) ने 'शहरी समुदाय' की परिभाषा इस प्रकार की है कि "यह वह समुदाय है, जिसकी जनसंख्या की सघनता बहुत है, जहाँ गैर—कृषिक व्यवसायों की सर्वाधिकता है, एक ऊँचे स्तर की विशिष्टता है जिसके फलस्वरूप श्रम—विभाजन जटिल होता है और स्थानीय शासन की औपचारिक सामाजिक नियन्त्रणों पर निर्भरता रहती है"। राबर्ट रेडफील्ड (अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, जनवरी, 1942) के अनुसार शहरी समाज की विशेषताएँ ये होती हैं कि "वह एक बड़ी विषमरूप जनसंख्या होती है, उसका दूसरे समाजों से निकट सम्बन्ध होता है (व्यापार, संचार के आदि के जरिए), उसमें एक जटिल श्रम—विभाजन होता है, सांसारिक मामलों को पवित्र मामलों की अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है और निश्चित लक्ष्यों के प्रति विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार को सुव्यवस्थित करने की अभिलाषा होती है। वे पारम्परिक मानदण्डों का अनुसरण नहीं करते"।

**नगरीयकरण** जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाना 'नगरीकरण' कहलाता है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का बढ़ता हुआ भाग ग्रामीण स्थानों में रहने के बजाय शहरी स्थानों में रहता है। थोमसन वारन के अनुसार, "यह ऐसे समुदायों के व्यक्तियों जो पूर्णरूप से कृषि से जुड़े हुए हैं, का उन समुदायों में जाना जो साधारणतया उनसे बड़े हैं और जिनकी गतिविधियाँ मुख्यरूप से सरकार, व्यापार, उत्पादन या इनसे सम्बद्ध कारोबारों पर केन्द्रित हैं"। एन्डर्सन (1953:11) के अनुसार, नगरीयकरण एकतरफा प्रक्रिया न होकर दोतरफा प्रक्रिया है। इसमें केवल गाँवों से शहरों में जाना नहीं होता, परन्तु इसमें प्रवासी के रूखों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार के संरूपों में भी परिवर्तन होता है। उसने नगरीयकरण की 5 विशेषताएँ बताई हैं: मुद्रा अर्थव्यवस्था, शहरी प्रशासन, सांस्कृतिक परिवर्तन, लिखित अभिलेख और अभिनव परिवर्तन।

**नगरीयता** एक जीवन पद्धति है। यह समाज का ऐसा संगठन है जिसमें श्रम का जटिल विभाजन, प्रौद्योगिकी के ऊँचे स्तर, उच्च गतिशीलता, आर्थिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए उसके सदस्यों की पारस्परिक आश्रयिता और सामाजिक संबंधों में अवैयक्तिकता का समावेश होता है (थियोडॉर्सन, 1969 : 453)।

नगरों का विकास जन्म एवं मृत्यु दर और प्रजनन/स्थानान्तरण पर ही केवल निर्भर नहीं करता, परन्तु वह राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारकों से भी होता है। राजनीतिक केन्द्र राज्यों

की राजधानी हो सकते हैं (लखनऊ, भोपाल, जयपुर, मुम्बई, कोलकाता आदि) या राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र (दिल्ली) या फौज के प्रशिक्षण स्थल (खड़गपुर) या रक्षा उत्पादन केन्द्र (जोधपुर), आर्थिक केन्द्र वे क्षेत्र हैं जहाँ व्यापार और वाणिज्य का वर्चस्व है (अहमदाबाद, सूरत), औद्योगिक नगर वे स्थान हैं जहाँ कारखाने होते हैं (भिलाई, सिंगरौली, कोटा, लुधियाना), धार्मिक नगर वे हैं जहाँ व्यक्ति तीर्थयात्रा पर जाते हैं (हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद) और शैक्षणिक केन्द्रों पर शैक्षणिक संस्थाएँ होती हैं (पिलानी)।

भारत में 1921 में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की 11.3% थी, 1951 में बढ़कर 17.6% हो गई। 1971 में शहरी जनसंख्या 10.91 करोड़, 1981 में 16.1 करोड़, 1991 में 21.7 करोड़, 2001 में 28.6 करोड़ थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अस्थायी योगों के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या (121.02 करोड़) में से शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ थी तथा पूर्ण संख्याओं में गत दशक के दौरान इसमें 9.1 करोड़ की वृद्धि हो चुकी है। वर्ष 1951 में दस लाख जनसंख्या वाले शहर मात्र 5 थे जो वर्ष 2001 में बढ़कर 35 एवं 2011 की जनगणना में 50 हो गए हैं। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 4 महानगर मुम्बई(1.63 करोड़), कोलकाता(1.32 करोड़), दिल्ली(1.27 करोड़), चेन्नई(64.24 लाख) नगर में आते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा की 49.8% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसके बाद तमिलनाडू(44.1%), महाराष्ट्र(42.4%), गुजरात(37.4%) आते हैं। उ.प्र. में 20.1% म.प्र.में 26.5%, राजस्थान में 23.4%, बिहार 10.5% जनसंख्या नगरों में रहती है।

नगरीकरण का यह विकास कई सदियों में जाकर हुआ। इस विकास के बाद लोगों ने स्वयं को नगरीय शैली में ढालना प्रारम्भ कर दिया और अपने कार्यों को नगरीय विधा के रूप में करना सीख लिया। इस तरह एक ऐसे वर्ग अर्थात् औद्योगिक श्रमिक वर्ग का निर्माण हुआ जिसका भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं था।

### 2011 की जनगणना के अनुसार भारत शीर्ष 10 राज्य व देश की जनसंख्या में उनका प्रतिशत

राज्य	जनसंख्या प्रतिशत	घनत्व
उत्तर प्रदेश	9.29	382
महाराष्ट्र	8.50	365
बिहार	8.50	1104
पश्चिम बंगाल	7.55	1029
आंध्र प्रदेश	7.0	308
मध्य प्रदेश	6.0	236
तमिलनाडु	5.96	555
राजस्थान	5.67	201
कर्नाटक	5.05	319
गुजरात	4.99	308

### 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर

नगर	राज्य	जनसंख्या	नगर	राज्य	जनसंख्या	नगर	राज्य	जनसंख्या
मुंबई	महाराष्ट्र	18,414,288	पटना	बिहार	2,046,652	नासिक	महाराष्ट्र	1,562,769
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	14,112,536	इंदौर	मध्य प्रदेश	2,167,447	जबलपुर	मध्य प्रदेश	1,267,564
दिल्ली	दिल्ली	16,314,838	वडोदरा	गुजरात	1,817,191	जमशेदपुर	झारखण्ड	1,337,131
चेन्नई	तमिलनाडु	8,696,010	भोपाल	मध्य प्रदेश	1,883,381	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	1,243,008
बंगलुरु	कर्नाटक	8,499,399	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	2,151,466	धनबाद	झारखण्ड	1,195,298
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	7,749,334	कोच्चि	केरल	2,117,990	फरीदाबाद	हरियाणा	1,404,653
अहमदाबाद	गुजरात	6,353,254	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	1,730,320	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1,216,719
पुणे	महाराष्ट्र	5,049,968	आगरा	उत्तर प्रदेश	1,746,467	अमृतसर	पंजाब	1,183,705
सूरत	गुजरात	4,585,367	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1,435,113	लुधियाना	पंजाब	1,613,878
कानपुर	उत्तरप्रदेश	2,920,067	मदुरई	तमिलनाडु	1,416,420	राजकोट	गुजरात	1,390,933
नागपुर	महाराष्ट्र	2,497,777	मेरठ	उत्तर प्रदेश	1,424,908			

## जनपद फर्रुखाबाद के नगरों का वर्तमान स्वरूप

नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत रोजगार, आवास, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन, स्वच्छता, स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु जो मानक निर्धारित हैं, उनकी स्थिति की पड़ताल की आवश्यकता महसूस करते हुए मैंने फर्रुखाबाद जनपद के नगरों की स्थिति, प्रशासन, मानकों के प्रदर्शित स्वरूपों पर अवलोकन आवश्यक समझा है। इसी आधार पर मैंने भारतीय जनपद फर्रुखाबाद के नगर-कस्बों में जाकर अवलोकन-जनसम्पर्क किया तथा औपचारिक-अनौपचारिक माध्यम से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए तथा नगर-अधिनियम, संहिताओं, नगरीय व्यवस्थाओं के अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आँकड़ों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या फर्रुखाबाद जनपद के नगरों का प्रशासन, आवास, प्रबन्धन सुविधाएँ मानक युक्त हैं?

फर्रुखाबाद जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसका मुख्यालय फतेहगढ़ है। इसका परिमाण 105 कि.मी.लम्बा एवं 60 कि.मी.चौड़ा तथा क्षेत्रफल 2181<sup>2</sup> कि.मी.है। जनगणना-2011 के अनुसार, जनपद की कुल जनसंख्या 1887577(पुरुष 1007479, स्त्रियाँ 880098), नगरीय 429990, ग्रामीण 1457587 जनसंख्या है। साक्षर जनसंख्या 1125457(70.57%), जिसमें 676067(79.34%) पुरुष, 449390(60.51%) स्त्रियाँ हैं। लिंगानुपात

1000 : 874 हैं। जिले में 1 न.पा.परिषद फर्रुखाबाद, 5 न.पंचायत मोहम्मदाबाद, कायमगंज, शमशाबाद, कंपिल, कमालगंज, 9 कस्बा—जहानगंज, नबाबगंज, राजेपुर, अमृतपुर, राजपुर, फैजबाग, मुरास, मदनपुर, मंझना हैं।

‘फर्रुखाबाद’ शब्द का आधार उर्दू के दो शब्दों ‘फर्रुख’ एवं ‘बाद’ है। ‘फर्रुख’ का तात्पर्य 18वीं सदी के मुगल शासक ‘फर्रुखशियर’ व ‘बाद’ का तात्पर्य ‘नगर या शासन’ है। फर्रुखाबाद के इतिहास के अनुसार, वर्ष 1947 से पूर्व अंग्रेजों तथा अंग्रेजों से पूर्व जब भारत में मुगलों का शासन था तब वर्ष 1665 में कायमगंज—मऊरसीदाबाद में एक पठान मुहम्मदखां का जन्म हुआ। जो साहस और वीरता के बल पर मुगल शासक फर्रुखशियर का सहयोगी बना। जहाँदाराशाह को हराने पर फर्रुखशियर ने मुहम्मदखां को नवाब की पदवी देकर आस—पास के बहुत से गाँव इनाम में दिए। मुहम्मदखां ने दो नए गाँव बसाए, एक अपने नाम से एवं दूसरा अपने सबसे बड़े लड़के के नाम से। पहला मोहम्मदाबाद और दूसरा कायमगंज। फर्रुखशियर को यह बात अच्छी न लगी अतः मुहम्मद खां ने फर्रुखशियर के नाम से फर्रुखाबाद बनाने की घोषणा कर दी तथा वर्ष 1714 ई. में उसकी नींव डाल दी। फर्रुखाबाद के चारों ओर तिकोनी ऊँची दीवाल थी, जो लगभग 15 फुट ऊँची थी। इसके बीच—बीच में 12 दरवाजे थे। नगर के दो किनारों पर दो बड़ी सरायें थीं।

जिले में कंपिल से प्राचीन धारा बूढ़ी गंगा से लेकर खुदागंज तक लगभग 36 विश्रांत घाट बने हुए थे। इन विश्रांतों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासनकाल के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिसमें कोलकाता से गढ़मुक्तेश्वर तक व्यापारिक बड़ी नावें चला करती थीं। जिनमें नमक, नील, शोरा, अफीम, कपड़ा, बर्तन के उद्योग का व्यापार होता था। विशेषपर्व जैसे गंगा मेला, माघ मेला, सामाजिक उत्सव शादी—विवाहों में इन घाटों पर अपार भीड़ होती थी। कंपिल का घाट मुगल बादशाह ने बनवाया था। इसी प्रकार शमशाबाद की विश्रांत, फर्रुखाबाद में झुन्नीलाल शाह की विश्रांत, टोकाघाट, पांचालघाट, किलाघाट, रानीघाट, सुंदरपुर घाट, सिंधीरामपुर में मराठा परिवार की विश्रांते बहुत ही सुन्दर थीं। लेकिन आज खंडहर पड़ी हैं।

फर्रुखाबाद जिले के विभिन्न स्थानों पर प्रसिद्ध मन्दिर दर्शनीय स्थल हैं। घटियाघाट पर रामनगरिया मेला पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक लगता है। श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है और यहाँ पर ज्येष्ठ दशमी, कार्तिक पूर्णिमा एवं शिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। नीमकरोरी रेलवे स्टेशन से 6 कि.मी. दूर पुठरी गाँव में महादेव जी का विशाल मन्दिर है और यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन—चैत्र में मेला लगता है। बढपुर में देवी दुर्गा, शीतला व संतोषी माँ का मन्दिर है चैत्र वदी अष्टमी को यहाँ मेला लगता है। नौखण्डा, शेखपुर, जिठौली, नीम करोरी, पल्लादेवी—फूलमती मन्दिर प्रसिद्ध हैं। जिले में गुरुगाँव देवी मन्दिर, पण्डाबाग में स्थापित शिवजी की मूर्ति, भोलेपुर में हनुमानजी की विशाल प्रतिमा व वैष्णो देवी का मन्दिर अत्यन्त दिव्य एवं भव्य हैं। संकिशा फर्रुखाबाद से 35 कि.मी.दूर स्थित है। इसका प्रथमोल्लेख बाल्मीकि रामायण में पाया जाता है तथा बौद्ध धर्म के इतिहास में इसका उल्लेख बहुधा पाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ 8—10 दिन ठहरे थे। संकिशा का उत्खनन कार्य से सिद्ध होता है कि अनेक उच्चकोटि के भवन बौद्ध धर्मावलम्बियों द्वारा बनवाए गये। संकिशा बौद्धों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जिसका उल्लेख पाणिनी की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनत्सांग के अनुसार संकिशा उच्चकोटि के भवनों से सुसज्जित नगर है जिसका निर्माण अशोक व उसके उत्तरवर्ती शासकों ने किया। संकिशा अब अपना वैभव खोकर ग्राम के रूप में शेष है। कम्पिल नगरी जैन, बौद्ध व नाग संस्कृति की अप्रियतम धरोहर है। यह हिन्दुओं एवं जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ प्राचीन काल में गंगा के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम तथा मन्दिरों के होने के कारण यह एक धार्मिक स्थान भी माना जाता है। यहाँ प्राप्त खण्डहरों से ज्ञात होता है कि किसी समय जैनियों के मंदिर बड़े सुन्दर रहे होंगे। यहाँ निर्मित द्रोपदी कुण्ड में स्नान करने का बड़ा महत्व माना जाता है।

जिले में 3 नदियाँ हैं। इनमें मुख्य नदी गंगा है जो एटा से प्रवेश करती हुई बदायूँ और शाहजहाँपुर जिलों को इस जिले से प्रथक करती है। जिले का कुछ क्षेत्र(उत्तर—पूर्व) गंगा के पार एवं शेष क्षेत्र गंगा के (दक्षिण—पश्चिम) ओर बसा है। गंगा की धारा प्रति वर्ष अपना रास्ता थोड़ा—बहुत बदल देती है। किसी समय यह कम्पिल, कायमगंज, शमशाबाद के बहुत पास बहती थी परन्तु आज इन स्थानों से 3—4 कि.मी.दूर बहती है। दूसरी नदी रामगंगा शाहजहाँपुर से आकर जिले में कुछ दूर बहकर हरदोई जिले में चली जाती है। तीसरी नदी बूढ़ी गंगा एटा जिले से आकर जिले के जटवारा ग्राम में गंगानदी में मिलती है। वर्षात् में गंगा व रामगंगा का रूप बढ़ा भयंकर हो जाता है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निवासियों का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है।

1— नगर पालिका फर्रुखाबाद—फतेहगढ़ फतेहगढ़ एवं फर्रुखाबाद नगरों के युग्म से निर्मित है।

2— नगर पंचायत मोहम्मदाबाद—दूर दर्राज की ग्राम सभाओं—रोहिला, कैथानगला, किलमापुर, तकीपुर, कबीरपुर आबादी क्षेत्र को जोड़कर निर्मित हुई है और जोड़ी गई ग्रामसभाएँ विकास से उपेक्षित हैं।

3— नगर पंचायत कमालगंज मार्ग के दोनों तरफ की घनी बस्तियाँ जिनकी आबादी गाँव जैसी है, निर्मित है।

4— नगर पंचायत शमशाबाद दूर—दर्राज की विखरी बस्तियाँ जिनकी आबादी गाँव जैसी है, निर्मित है।

5— नगर पंचायत कायमगंज नगर क्षेत्र की बस्तियाँ ग्रामसभाएँ एवं ग्राम सभाएँ नगर में जुड़ी हुई हैं।

6— नगर पंचायत कम्पिल नगर क्षेत्र की बस्तियाँ ग्रामसभाएँ एवं ग्राम सभाएँ नगर में जुड़ी हुई हैं।

7— कैंट बोर्ड फतेहगढ़ फर्रुखाबाद—फतेहगढ़ नगर पालिका होने के बावजूद क्षेत्र में अतिरिक्त कैंट बोर्ड है।

फर्रुखाबाद जिले के नगर क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के अनुपात में मकान का निर्माण न हो पाने के कारण अनेक गन्दी बस्तियाँ बन गई हैं। प्रत्येक नगरों में आधे से दो तिहाही भाग तक जनसंख्या गन्दी बस्तियों या उसी के समान दशाओं वाले मकानों में रहती है। नगरों की कैसर के समान यह वृद्धि व्याधि युक्त 'नरक' हैं। नगर की बस्तियों के मकानों में हवा, पानी, शौचालय, स्नानागार व रोशनी की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव रहता है। इनमें स्नान घर अन्दरे और शीलनयुक्त हैं। साथ ही इनमें मच्छर, खटमल, जुओं, छिपकली, चूहों और बीमारी के कीटाणुओं की बहुलता पायी जाती है। नगर निवास की यह अर्द्ध मानवीय दशा है। यह मानव जाति की शारीरिक व मानसिक दृष्टि से कमजोर पीढ़ी को जन्म देती है।

गन्दी बस्तियों में पारिवारिक जीवन का एक बड़ा भाग आवासीय इकाई के बाहर बिताया जाता है। घरों की नीरसता बच्चों को सड़क पर जाने के लिए बाध्य करती है। इससे माता-पिता के सामने बच्चों को नियन्त्रण रखने की समस्या खड़ी होती है। घर में कम जगह में सोने के ठीक प्रबन्ध नहीं हो पाते और इससे एकांतता पर प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक तनावों का उनके व्यक्तित्व और व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है।

नगर क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की भीषण समस्या है। शहरी जनसंख्या का 1/3 भाग एवं अधिकाँश श्रमिक गन्दी बस्तियों में निवास करते हैं। शहरी जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ गन्दी बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। शहरों में भूमि की कीमत, इमारती सामान व श्रम की कीमत में वृद्धि हुई। अतः नये मकानों का निर्माण काफी कठिन हो गया है और कई मजिले मकान बनाने पड़े हैं जिनमें हवा, रोशनी, जल व विद्युत का पूरा प्रबन्ध नहीं हो पाया है। उनमें स्वास्थ्य एवं सफाई की सुविधाओं का पूर्ण अभाव है।

फर्रुखाबाद जिले के नगर क्षेत्र बस्तियों की स्थिति भी गन्दे आवासों में अच्छी नहीं है। गन्दे आवासों में अत्यन्त छोटे-छोटे कमरों में मनुष्य भरे पड़े हैं। जाने के रास्ते तंग होते जा रहे हैं, हवा-रोशनी इनमें नहीं पहुँचती है। शौच के असन्तोषजनक प्रबन्ध के कारण तथा कूड़े-करकट के यहाँ-वहाँ एकत्रित रहने से सम्पूर्ण वातावरण धूल, धुएँ, बदबू व कीटाणुयुक्त रहता है। गन्दे वातावरण में खाना बनता है और बच्चे पैदा होते यहाँ नमी व कीचड़ ही कीचड़ रहती है। यहाँ मनुष्यता बर्बर हो जाती है, स्त्रियों का निरादर होता है तथा बच्चों पर घातक संस्कार प्रारम्भ से पड़ने शुरू हो जाते हैं। गन्दे आवासों में रहने से लोगों का शारीरिक, नैतिक, सामाजिक पतन एवं कार्यक्षमता का ह्रास होता है और फिर बीमारियाँ पीढ़ियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। इन सब कारणों से इन गन्दे आवासों के निवासियों की मृत्यु दर अधिक रहना स्वाभाविक ही है।

गन्दे आवास नगर में वे निवास क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास दशा होती है। एक गन्दा आवास सदैव दरिद्र परिवार का ही आवास है। गन्दे आवास मुख्य रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के निवास स्थान नष्ट हो गए हैं एवं अत्यधिक भीड़-भाड़ युक्त है, इनकी बनावट त्रुटिपूर्ण होती है जहाँ रोशनदान, प्रकाश एवं सफाई का अभाव है। इन कारकों के प्रभाव सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद है। गन्दे आवासों की बस्तियाँ बेदंग तरीके से बसी हुई, अव्यवस्थिति रूप से विकसित सामान्यतः उपेक्षित निवास क्षेत्र हैं जो लोगों द्वारा घना बसा हुआ होता है तथा इनमें बिना मरम्मत उपेक्षित मकानों की भीड़-भाड़ होती है, सफाई व्यवस्था के प्रति उदासीनता रहती है, जरूरी साधन अपर्याप्त, शिक्षा त्रुटिपूर्ण, रोजगार का अभाव होता है। भौतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए जरूरी सुविधाओं की अपर्याप्ता रहती है। मानव एवं समुदाय की जरूरतों एवं सुविधाओं की पूर्ति कम से कम होती है। व्यक्ति एवं परिवार की प्रमुख सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए सामाजिक सेवाओं एवं कल्याण संस्थानों की सामान्यतः अनुपस्थिति रहती है। इनमें अपर्याप्त आय तथा निम्न स्तरीय स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर रहता है। भौतिक-सामाजिक पर्यावरण के फलस्वरूप यहाँ के निवासी प्राणीशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परिणामों के शिकार होते रहते हैं। गन्दी बस्तियों की विशेषता भीड़-भाड़ युक्त, पतनोन्मुख, अस्वस्थ की दशा तथा सुविधाओं का अभाव है। इन दशाओं या इनमें किसी एक के कारण इनके निवासियों या समुदाय के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं नैतिकता को खतरा पैदा होता है। गन्दी बस्तियाँ अस्त-व्यस्त बसी हुई हैं, अव्यवस्थिति रूप से विकसित एवं सामान्यतः यह क्षेत्र जनाधिक्य व भीड़-भाड़ युक्त हैं, टूटे-फूटे घर व उनकी मरम्मत की पूर्ति में उपेक्षा बरती जाती है।

नगर क्षेत्रों के जिन बच्चों को लम्बे समय तक पोषण युक्त आहार नहीं मिलता, ऐसे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषित बच्चों की रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होती है और ऐसे बच्चे अक्सर बीमार रहने लगते हैं। कुपोषण के सामान्य लक्षणों में बच्चों की त्वचा व बालों का रूखा एवं बेजान हो जाना, वजन कम होना, पेट फूलना इत्यादि है। सिर्फ इतना ही नहीं कुपोषण के कारण बच्चे का विकास भी रुक जाता है और यदि समय रहते कुपोषण का इलाज न कराया जाये तो यह समस्या जानलेवा भी हो सकती है।

स्वास्थ्य व्यक्ति न केवल कमाने योग्य होता है अपितु उसे बीमारी पर भी कम खर्च करना पड़ता है। यदि किसी देश में एक बड़ी संख्या में व्यक्ति दीर्घकालिक कुपोषण ग्रस्त या अस्वस्थकर वातावरण में रहते हैं तो वे कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। जिसके कारण वे काम करने योग्य नहीं रहते। गरीबी परिवार के आकार में वृद्धि से सहसंबंधित है। परिवार बड़ा होने पर प्रति व्यक्ति आय कम और जीवन स्तर नीचा होगा। **जल** जनपद के नगरों के सार्वजनिक स्थलों, मार्गों, भीड़-भाड़ स्थलों, बाजारों आदि स्थानों पर सरकारी हैण्डपम्प लगवाए गए हैं तथा सरकारी विभागों एवं निगमों द्वारा जलटैंक बनवाकर सार्वजनिक जल आपूर्ति

की जा रही है। शुद्ध जल आपूर्ति एवं जल को प्रदूषित होने से बचाव हेतु सरकारों द्वारा बड़ी मात्रा में धन मुहैया कराया जा रहा है। इसके बावजूद अधिकांश सरकारी हैण्डपम्प एवं शुद्ध जल दरिद्रों और उनके परिवारों की पहुँच से बाहर हैं या हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। अनेकों सरकारी हैण्डपम्प रहीसों के कब्जे में उनके घरों की चाहर दीवारी में लगाकर उनमें समरसेबिल लगाए गए हैं। सार्वजनिक जल टैंकों में पड़ने वाली क्लोरीन जल में न डालकर बेंच ली जाती है और ट्यूबबेल आपरेटर-कर्मचारी सार्वजनिक आपूर्ति के टैंक एवं जल-नलिकाओं की साफ-सफाई नहीं करते हैं जिसके कारण टैंकों में भरा पानी एवं आपूर्ति की टूटी नलियों से गन्दा पानी आता है एवं इस प्रदूषित जल का सेवन करना साधारण जनता की मजबूरी होने के कारण जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा ज्वाइंटिस जैसी बीमारियों से ग्रसित रहता है।

**स्वच्छता** जिले के नगर-वार्ड्स में नियमित सफाई के अभाव एवं गन्दगी के ढेरों तथा कीचड़ के जमाव से कीट-मच्छरों का प्रकोप चरम पर है जिसके कारण नगरवासी अनिद्रा और घातक बीमारियों से ग्रस्त हैं।

**शिक्षा** नगर-वार्ड्स के प्राथमिक स्कूल व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इन भवनों में पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ दिखता है। यथा भण्डारे, पौनालिक स्थलों-पार्कों की भाँति बच्चों की उछलकूद, शिक्षकों-रसोइयों की गपशप, फेरी वालों से खरीदारी, मोबाइल पर गेम्स व लंबी वार्ता आदि के नजारे दिखते हैं। अधिकांश शिक्षक ड्यूटी साइन करने यदा-कदा स्कूल आते हैं और बिना पढ़ाए चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे बिना शिक्षण किए वेतन लेकर राजनीति-व्यापार में सक्रिय हैं। अनेक शिक्षक अपनी जगह बेरोजगारों को कुछ पैसा देकर पढ़वा रहे हैं। मिड-डे-मील में रंगीन-चावल छात्रों को एवं मानकीय भोजन दूध-फल शिक्षकों, रसोइयों, ऑगनबाड़ी, प्रेरकों द्वारा खा जाने के बाद फर्जी छात्र उपस्थित दर्ज कर ली जाती है। मिड-डे-मील का बचा राशन बन्दर-बॉट कर घर ले जाया जाता है। जिससे सिद्ध होता है कि मिड-डे-मील व्यवस्था समाप्त होने पर छात्र-जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु प्रधान-शिक्षक एवं उनके परिजन भूखे रह जाएंगे।

**मोहम्मदाबाद का आश्रम पद्धति विद्यालय** अनुसूचित एवं जनजाति के दरिद्र बच्चों के लिए है तथा कुछ सीटों पर दरिद्रों के बच्चों को भी प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जिसका लाभ पात्र दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्रों-अपात्रों का दिया जा रहा है। वास्तविक पात्र दरिद्र वंचित-निरक्षर हैं।

**कस्तूरबा विद्यालय** निरक्षर किशोरियों के लिए आवासीय शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 100 छात्राओं को पंजीकृत कर शिक्षा उपलब्ध है। छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा, मानकीय शिक्षा एवं पंजीकरण की संदिग्धता इस आधार पर अति प्रबल है क्योंकि लगभग सभी शिक्षक अपने निवास से ही रोज आते जाते हैं।

**मूक-बधिर केन्द्र** के अधिकांश शिक्षक-कर्मचारी स्थानीय होने के कारण शिक्षण कार्य में रुचि न लेकर अन्य व्यवसायों एवं राजनीति में सक्रिय बने हैं तथा अपंग छात्रों की शिक्षा व व्यवस्था रामभरोसे है।

**अपंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों** का संचालन अवैध है। नरक, भूत-प्रेतों का भय एवं अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण-संसर्ग उपरांत विधवा जीवन व्यतीत करने हेतु बाध्य करना, आत्मा-जीवन उद्धार का लालच देकर किशोर-किशोरियों एवं प्रौढ़ों को फंसाकर लाया जाता है। जहाँ किशोर-किशोरियों को चिड़ियाघर की भाँति रखा है। पूजा-पाठ के कर्मकाण्डों से जन-समर्थन प्राप्त किया जाता है एवं फंसे लोगों को रात्रि के अन्धेरे में इधर-उधर करके न जाने कहाँ ले जाया जाता है। इनकी गतिविधियाँ व्यक्ति-समाज के लिए अत्यन्त घातक हैं। धार्मिक स्थलों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर संचालित विद्यालयों में धर्म एवं शिक्षा का दुरुपयोग होकर छात्र-छात्राओं को अंधविश्वासों का अन्धानुकरण करने हेतु बाध्य किया जाता है। दान-अनुदान एवं छात्रवृत्तियों को हड़पकर मठाधीश व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। फर्जीबाड़े पर आधारित अधिकांश मदरसों की शिक्षा अति संदिग्ध व समाज विरोधी है।

**पब्लिक स्कूलों** के अधिकांश ऐसे छात्र हैं जो परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत हैं या रहे हैं और उनके माता-पिता सरकारी योजनाओं का लाभ यथा समाजवादी, विधवा, बिकलांग पेंशन सहित दरिद्र कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाभ लेकर सरकारी स्कूलों में अध्यक्ष बने हैं। निजी स्कूलों के छात्रों से संबंधित विचारणीय तथ्य यह है कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षा पूर्ण करने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना पड़ता है तो उन्हें पुनः पब्लिक स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है और बड़ी उम्र में भी वह निम्न शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

**जनपद का डायट केन्द्र रजलामई** के प्राचार्य एवं शिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थी यदाकदा विद्यालय आते हैं। प्राचार्य के विद्यालय आने की सूचना मोबाइल पर सर्कुलेट होती है तभी स्टाफ-शिक्षक विद्यालय आते हैं।

**शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल एव चिकित्सीय, विधि कालेज तथा शिक्षक प्रशिक्षण** में शिक्षा-माफियाओं द्वारा प्रबन्धन के नाम पर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है और कागजी खानापूर्ति कर शिक्षा के उद्देश्यों को समाप्त कर स्वलाभ कमाया जा रहा है तथा मानक विहीन समितियाँ धन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता प्राप्त कर अवैध वसूली कर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही है। विद्यालयों के प्रबन्धतन्त्रों एवं शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन, सम्पर्क के आधार पर प्राप्त तथ्यों पर विचार करने से पता चलता है कि, फर्रुखाबाद जिले में संचालित एडिड एवं स्ववित्तपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबन्धक सम्बद्धता-

मान्यता पत्रावलियों में फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक तथ्यों—प्रपत्रों एवं शपथ—पत्रों में फर्जीबाड़ा कर और स्वयं मनमाने ढंग से प्रमाणित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा शिक्षाविभाग—विश्वविद्यालय के लोगो से सांठ—गांठ एवं धन—लालच के प्रभाव से मनचाही बैठकें जाँच, साक्षात्कार, नियुक्ति, जाँच के फर्जी प्रपत्र बनाकर बोर्ड— विश्वविद्यालय की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं। जिसके माध्यम से शिक्षा के विकास की योजनाओं की निधियों के धन को हड़प कर कालेज भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबन्धतन्त्रों के लोगों एवं उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा—छात्र—बेरोजगार—समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

**आजीविका** जनपद के अधिकांश नगर क्षेत्रों के लगभग 70 निवासियों की आजीविका का साधन कृषि है।

**साक्षरता** फर्रुखाबाद जिले के नगर क्षेत्रों के लगभग 90–95% कृषक—मजदूर निरक्षर हैं। शहरी क्षेत्र में लगभग 80–90%, स्त्रियाँ एवं 70–80% पुरुष अशिक्षित और निरक्षर हैं। दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह मिली जहाँ की अशिक्षा और निरक्षरता 95–100% बनी हुई है। अध्ययनरत छात्र—छात्रा, किशोर—किशोरी, प्रशिक्षु एवं शिक्षा डिग्री—डिप्लोमा धारियों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता एवं निरक्षरता की झलक दिखाई देती है। निम्न से उच्च शिक्षित बच्चों, किशोरों, युवाओं को सूर्योदय एवं सूर्यास्त की दिशाओं व अक्षरों का ज्ञान तक नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद—प्रदेश के निवासी हैं। लिखना—पढ़ना उनके वश की बात नहीं। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

**नगर—प्रशासन** कार्यकारणी में पदों के आरक्षण हेतु चक्रीय निर्वाचन प्रक्रिया की जबरदस्त उपेक्षा से एक ही व्यक्ति—परिवार(पति—पत्नी) बारम्बार पदासीन हो रहे हैं। नारियों की पदासीनता पर उनके पतियों के मनमानी, धन उगाई, अवैध कब्जे व फर्जीबाड़े चरम पर हैं तथा नगर निकाय की खुली बैठकें—प्रस्ताव कभी नहीं होते हैं।

## तालिका—1

फर्रुखाबाद जिले की जनसंख्या का नगर बार विवरण के मुख्य तथ्य 2011													
क्र म	नगर	क्षेत्रफल वर्गकिमी	कुलजन संख्या	कुल पुरुष	लिंग अनु.	कुल महिला	0.6वर्ष बच्चे	साक्षर व्यक्ति	साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षर प्रतिश	महिला साक्षप्र.	पुरुष साप्रति
1	फर्रुखाबा	1.0 <sup>2</sup> किमी	291374	154776	899	136598	36107	189271	106270	83001	74.00	78.51	69.22
2	कमालगंज	2.59 <sup>1</sup> किमी	15477	8248	876	7229	2208	10140	5795	4345	76.42	81.93	70.13
3	शमशाबाद	4.0 <sup>2</sup> किमी	28454	14950	903	13504	4549	14333	8322	6011	59.96	67.68	52.96
4	कायमगंज	1.0 <sup>2</sup> किमी	34384	18135	896	16249	4383	23376	13041	10335	77.92	82.57	72.74
5	मोहम्मदाब	10.0 <sup>4</sup> किमी	24687	13243	864	11444	3600	16545	9709	6836	78.46	85.63	70.12
6	कम्पिल	1.0 <sup>2</sup> किमी	10281	5477	877	4804	1783	5465	3263	2202	64.31	72.33	55.23
7	कैंट	4.29 <sup>4</sup> किमी	14793										

## तालिका—2

फर्रुखाबाद जनपद के नगर क्षेत्रों में वार्ड, धर्मानुसार जनसंख्या, आजीविका विवरण 2015—17					
क्र	नगरक्षेत्र	वार्ड	ग्रामसभा/वार्ड—मुहल्ला का नाम	धर्म के अनुसार जनसंख्या	जीविका
1	फर्रुखाबाद (न.पा.प.)	37	अब्दुलहीदखाननगर,अंबेडकरनगर,अशोककउल्लाखाननगर,अशोकनगर,आजादनगर,बलरामनगर,भगतसिंहनगर,ब्रह्मनगर,बुद्धनगर,चन्द्रगुप्तनगर,चित्रगुप्तनगर,दुर्गानगर,गंगानगर,गोबिंदनगर,गुरुतेगबहादुरनगर,कबीरनगर,कृष्णानगर,लक्ष्मननगर,लक्ष्मीनगर,लोहियानगर,महादेवीवर्मानगर,महादेवनगर,महाराजप्रतापनगर,नानकनगर,परशुरामनगर,पटेलनगर,रामनगर,विवेकानंदनगर,रविदासनगर,शिवजीनगर,श्यामनगर,सुदामानगर,तुलसीनगर,विसमिलनगर	हिंदू—74.23%, मुस्लिम—24.67%, ईसाई—0.59%, सिख—0.15%, बौद्ध—0.05%, जैन—0.09%, अन्य—0.21%	व्यापार, मजदूरी, नौकरी, ठेकेदारी
2	छावनीबोर्ड	7	श्रीशमबाग—1,2, कर्नलगंज—1,2,3, कर्नलगंज—1,2, कासिमबाग	अध्यःबिग्रे, सचिवःईओ, सभाःआबती, रतन, मोहन, बाबी, रजियाबेगम, विजयभान, वीरपाल, सामान्य	मजदूरी नौकरी
3	कायमगंज (न.प.)	24	अब्दुलकलामआजादनगर,अंबेडकरनगर,अशोकनगर,आजादनगर,बाल्मीकिनगर,गांधीनगर,गंगानगर,इंदिरानगर,जगजीवनपुरम,लक्ष्मीनगर,लोहियानगर,महावीरनगर,नेहरुनगर,पंतनगर,पटेलनगर,राजीवनगर,रविदासपुरम,संजयपुरम,सरोजनीनगर,शास्त्रीनगर,शिवाजीनगर,सुभाषनगर,विवेकानन्दनगर,जाकिरनगर	हिंदू77.25%, मुस्लिम22.24%, ईसाई0.02%, सिख—0.00%, बौद्ध 0.01%, जैन—0.19%, अन्य 0.13%	व्यापार, मजदूरी, नौकरी, ठेकेदारी
4	कमालगंज (न.प.)	12	अंबेडकरनगर,अशोकनगर,आजादनगर,गांधीनगर,इंदिरानगर,,जवाहरनगर,किदवईनगर,लोहियानगर,प्रतापनगर,शास्त्रीनगर—1, शास्त्रीनगर—2, सुभाषनगर	हिंदू77.25%, मुस्लिम 22.24%, ईसाई0.02% सिख0% बौद्ध0.01%, जैन0.19%, अन्य.13%	कृषि श्रमिक
5	कम्पिल (न.प.)	10	अब्दुलकलामआजादनगर,अंबेडकरनगर,भगतसिंहआजादनगर,द्रोपदीनगर,गांधीनगर,इंदिरानगर,किदवईनगर,लक्ष्मीबाईनगर,नेहरुनगर,शास्त्रीनगर	हिंदू77.25% जैन0.19%, मुस्लिम22.24% ईसाई0.02% सिख 0.0%, बौद्ध 0.01%, अन्य0.13	कृषि श्रमिक
6	मोहम्मदाबाद (न.प.)	12	अंबेडकरनगर,आबतीबाईनगर,आजादनगर,गांधीनगर,इंदिरानगर,कबीरनगर,किदवईनगर,कृष्णानगर,राजीवनगर,रविदासनगर,शास्त्रीनगर,शिवाजीनगर	हिंदू77.25%, मुस्लिम22.24%, ईसाई0.02%, सिख0.0%, बौद्ध0.01%, जैन0.19%, अन्य0.13%	कृषि श्रमिक
7	शमशाबाद (न.प.)	15	अंबेडकरनगर,अशोकनगर,आजादनगर,फकरुद्दीननगर,गांधीनगर,राजीवगांधीनगर,नेहरुनगर,इंदिरानगर,किदवईनगर,संजयनगर,शास्त्रीनगर,सुभाषनगर,टीपू नगर,तुलसीनगर,जाकिरहसैननगर	हिंदू39.11% मुस्लिम 60.72%, ईसाई0.05% सिख0.00% बौद्ध0.0%, जैन0.00%, अन्य0.11	कृषि श्रमिक व्यापारी



